यशोदा वाटिका

छात्रावास-चड्ढा पब्लिक स्कूल

ग्रामः- नंगला कुम्भा, पोस्ट सिवालखास वाया जानी, जनपद मेरठ-250501

प्रवेश नियम

1. यशोदा वाटिका, जो एक भारतीय संस्कार युक्त छात्रावास है, में आस्था व विश्वास के साथ पालन रखूंगा/रखूंगी।
2. 5 से 10 वर्ष तक की आयु वाली ऐसी बालिकाओं का ही प्रवेश हो सकेगा, जिसके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो।
3. रू० 1000/- प्रतिमाह का अंशदान निश्चित समय पर देना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
4. एक परिवार से अधिकतम दो बालिकाओं का प्रवेश होगा।
5. प्रवेश से पूर्व बालिका का शारीरिक परीक्षण कराया जाएगा। यदि उसे कोई ऐसा रोग हुआ, जिससे दूसरों को हानि पहुंच सकती है तो प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
6. प्रवेश के समय बच्चे के साथ दो जोड़ी वस्त्र, चप्पल व बैंग देना आवश्यक है।
7. यदि बालिका के पिता या माता का मृत्यु प्रमाण-पत्र नही है तो प्रवेश दिलाने वाले व्यक्ति को बालिका के सम्बंन्ध में सदस्य नगर निगम अथवा अन्य किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की साक्षी दिलानी होगी।
8. यदि बालिका का पिता जीवित है और उसे किसी विशेष परिस्थिति से (जैसे पिता का घर छोड़ कर चला जाना तथा किसी असहाय रोग से ग्रस्त होना) प्रवेश दिया गया है तो विशेष परिस्थिति समाप्त होने पर बालिका को वापस भेजा जा सकता है। यदि इस सम्बन्ध में अभिभावक ने कोई गलतबयानी की हो तो उसे बालिका की प्रवेश तिथि से वापसी तिथि तक का व्यय (रू० 4,000 प्रतिमाह) देना होगा।
9. गुम हुई बालिका सामान्यतः पुलिस अथवा स्थानीय मजिस्ट्रेट एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रविष्ट हो सकेगी। बालिका के अभिभावक मिल जाने पर उसे वापस भेजा जा सकता है।
10. प्रवेशित बालिका को यशोदा वाटिका के अनुशासन एवं अन्य सभी नियमों का पालन करना होगा। यदि कोई बालिका ऐसा नही करेगी तो उसे उसके अभिभावक को लौटा दिया जाएगा।
11. बालिका को नियंत्रण में रखने के लिए संस्था के अधिकारी यदि किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही करते है तो अभिभावक का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
12. प्रवेशित बालिका पर यशोदा वाटिका का वही अधिकार होगा, जो राजनियमानुसार माता-पिता का सन्तान पर होता है।
13. बालिकाओं के पालन-पोषण, कार्य पर लगाने आदि का पूर्ण अधिकार संस्था के पदाधिकारियों को होगा, वे जैसा उचित समझेंगे व्यवस्था करेंगे। अभिभावक अथवा किसी सम्बन्धी को दखल देने का अधिकार न होगा।
14. अभिभावक हर माह के चौथे शनिवार अथवा संस्था द्वारा निश्चित दिन पर ही बच्चे से मिलने आयेगें व आने से पूर्व संस्था से आज्ञा लेंगें।
15. बच्चे से मिलने अभिभावक अतिरिक्त और कोई नही आयेगा।
16. अभिभावक बच्चे से मिलने आने पर किसी प्रकार के सौदर्य साधन, बाजार के कपड़े, चप्पंल या खाने का सामान नहीं देंगें।
17. अभिभावक संस्था में अपने बच्चे को पूर्णता अपनी जिम्मेदारी पर प्रवेशित करायेगा व यदि प्रवेशित बालिका गुम हो जाएं या स्वयं चली जाए या किसी प्राकृतिक/अप्रकृतिक दुर्घटना से जख्मीं हो जाए, उसका अंग भंग हो जाए अथवा उसकी किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाए तो उसके लिए संस्था जिम्मेदार नही होगी व अभिभावक संस्था के किसी भी पदाधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नही करेगा।
18. बालिका जब तक संस्था में प्रविष्ट है, उसे घर जाने के लिए अवकाश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में ही ऐसे किसी प्रार्थनापत्र पर विचार किया जा सकेगा।

मैने संस्था के प्रवेश नियमों को भली प्रकार पढ़/पढ़वा लिया है। मुझे वे स्वीकार है। मेरी प्रार्थना है कि बालिका को प्रवेश देकर अनुगृहीत करें।

साक्षी के हस्ताक्षर.....

नाम :.....

पता :.....

.....

.....

मोबाइल न० : | | | | | | | | | | |

अभिभावक के हस्ताक्षर .....

नाम :.....

पता :.....

.....

.....

मोबाइल न० : | | | | | | | | | | |